

# व्यूज टुडे

## डिजिटल गवर्नेंस की त्रिपक्षीय दुविधा: डिजिटल प्रभुत्व, डिजिटल आत्मसमर्पण, या वास्तविक डिजिटल संप्रभुता

चूंकि, भू-राजनीतिक प्रभाव का केंद्र तेल से हटकर डेटा की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इस कारण भारत डिजिटल गवर्नेंस की एक त्रिपक्षीय दुविधा (इन्फोग्राफिक देखें) का सामना कर रहा है।


भारत को डिजिटल संप्रभुता की ओर प्रेरित करने वाले कारक

- भू-राजनीतिक अस्थिरता: व्यापार, प्रशुल्क, रूसी तेल खरीद और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत एवं अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध लगातार अनिश्चितता पैदा करते हैं। ये संबंध भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं।
- वैश्विक डिजिटल प्रभुत्व: संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला “डिजिटल प्रभुत्व मॉडल” वैश्विक डेटा, इंटरनेट और वित्तीय अवसंरचना (उदाहरण के लिए- SWIFT) को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग ईरान व रूस के खिलाफ और भारत के ऊर्जा व्यापार पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने के लिए किया जा रहा है।
- विदेशी नियंत्रण के प्रति सुभेद्यता: विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर भारत की खतरनाक निर्भरता उजागर हुई है। उदाहरण के लिए- EU प्रतिबंधों के कारण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नायरा एनर्जी की सेवाओं का अचानक निलंबन इस निर्भरता को दर्शाता है।

- नई मुद्रा के रूप में डेटा: पारंपरिक कारकों के विपरीत, अब किसी राष्ट्र का डिजिटल फुटप्रिंट उसकी रणनीतिक शक्ति को निर्धारित करता है।

भारत के लिए डिजिटल संप्रभुता के मार्ग

- डिजिटल संप्रभुता की परिभाषा: कानूनी और विनियामक संरचनाओं का निर्माण करना, जो डेटा निर्यात और राष्ट्रीय डिजिटल स्पेस पर संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।
  - उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
- डिजिटल औद्योगीकरण: चीन के बहिष्कार मॉडल (विदेशी तकनीक की उपस्थिति को प्रतिबंधित करना) के विपरीत, भारत को एक राष्ट्रीय डिजिटल औद्योगीकरण नीति फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए।
- आधारभूत पहलें (इंडिया स्टैक): डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और आधार प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से शुरू करनी चाहिए।
- अन्य: संप्रभु AI (उदाहरण के लिए- भारतजेन); फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) दृष्टिकोण; स्वदेशी प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लिए- ज़ोहो द्वारा विकसित मैसेजिंग ऐप अरत्ताई)।



भारत के लिए चुनौतियां

- डिजिटल आत्मसमर्पण का जोखिम: भारत को ऐसे FTA (मुक्त व्यापार समझौता) खंडों से बचना चाहिए, जो विदेशी डिजिटल सेवाओं/ उत्पादों पर गैर-भेदभाव के लिए बाध्य करते हैं।
  - उदाहरण: इंडोनेशिया और मलेशिया ने वाणिज्यिक लाभ के लिए डिजिटल स्वायत्तता का सौदा किया है।
- विदेशी निवेश बनाम संप्रभुता: उदाहरण के लिए- गूगल के \$15 बिलियन के AI हब में भू-राजनीतिक और संप्रभुता के जोखिम शामिल हैं।
- घरेलू विकल्पों की विफलता: उदाहरण के लिए- सरकारी समर्थन के बावजूद कू (Koo) 'एक्स' (पहले ट्विटर) की जगह राजनीतिक केंद्र बनने में विफल रहा और बंद हो गया।
- निजता बनाम गोपनीयता: उदाहरण के लिए, ज़ोहो ने अरत्ताई पर निजता/ गोपनीयता की रेखाओं को अस्पष्ट किया है तथा डेटा माइन न करने के वादे का भविष्य में उल्लंघन हो सकता है।



## उच्चतम न्यायालय ने अपमानजनक ऑनलाइन-कंटेंट को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया

उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले 'उपयोगकर्ता-द्वारा सृजित कंटेंट (User-generated content)' के लिए प्रभावी विनियमन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ऑनलाइन कंटेंट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताएँ

- ऑनलाइन कंटेंट का तेजी से वायरल होना और अधिक लोगों तक पहुंचना: नुकसानदेह सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही सेकंड में वायरल हो सकते हैं। इसके खिलाफ जब तक जवाबी कार्रवाई वाले "टेकडाउन" तंत्र सक्रिय होते हैं तब तक लोगों या संस्था की प्रतिष्ठा या सुरक्षा को नुकसान पहुंच चुका होता है।
- वयस्क लोगों के लिए कंटेंट: "केवल वयस्कों के लिए" जैसी एक-पंक्ति की चेतावनियां नाबालिगों को अश्लील कंटेंट तक पहुंचने से रोकने में असमर्थ रही हैं।
- उपयोगकर्ता-सृजित चैनलों पर नियंत्रण नहीं होना: कोई भी व्यक्ति किसी विनियामक संस्था की निगरानी के बिना ऑनलाइन चैनल संचालित कर सकता है। इससे बिना-सत्यापन वाले या उकसाने वाले कंटेंट बिना रोक-टोक के प्रसारित होते रहते हैं।
- दुष्प्रचार: असहमति लोकतंत्र का आधार है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म तब समस्या बन जाते हैं जब भ्रामक जानकारी या दुष्प्रचार का उपयोग घृणा भड़काने, तथ्यों को तोड़मरोड़ करके प्रस्तुत करने या सामाजिक अशांति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के प्रस्ताव और दिशा-निर्देश

- नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना: न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लोगों से परामर्श के बाद सभी डिजिटल कंटेंट्स के लिए नए नियम बनाए। इनमें उपयोगकर्ता-द्वारा सृजित कंटेंट, OTT, समाचार और क्यूरेटेड कंटेंट शामिल हैं।
- स्वायत्तशासी विनियामक: शीर्ष न्यायालय ने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया। यह प्राधिकरण ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करेगा और मौजूदा स्व-विनियमन मॉडल्स की जगह लेगा या उसके पूरक की भूमिका निभाएगा।
- विशेषज्ञ समिति का गठन: न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति में विषय-क्षेत्र के विशेषज्ञों और न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- आयु सत्यापन प्रणाली: वयस्क या अश्लील कंटेंट तक पहुंच से पहले उपयोगकर्ता की आयु आधार नंबर या पैन नंबर से सत्यापित करनी चाहिए। इससे केवल अंकित चेतावनियों पर निर्भरता नहीं रहेगी।

ऑनलाइन कंटेंट विनियमन हेतु वर्तमान कानूनी तंत्र

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) और सूचना-प्रौद्योगिकी (IT) नियमावली 2021: ये कानून शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, गैरकानूनी कंटेंट को समयबद्ध तरीके से हटाने, और मध्यवर्तियों (सोशल मीडिया संस्था) द्वारा उचित सावधानी बरतना अनिवार्य करते हैं।
- अक्टूबर 2025 में, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम प्रस्तावित किए कि AI से सृजित कंटेंट अपलोड करने से पहले स्पष्ट रूप से लेबल लगा हो और मध्यवर्तियों द्वारा सत्यापित हो।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: यह संहिता मानहानि, अश्लीलता, देशद्रोह जैसे कृत्यों, और हिंसा के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्व-विनियमन संहिता: OTT सेवा-प्रदाताओं और प्रसारकों ने आंतरिक स्तर पर दिशानिर्देश, रेटिंग प्रणाली और कंटेंट संशोधन प्रक्रियाएं सुनिश्चित की हैं।
- न्यायपालिका से राहत: पीड़ित व्यक्ति हानि होने के बाद क्षतिपूर्ति की मांग, पोस्ट रोकने के लिए निषेधाज्ञा (injunctions) का आदेश जारी करने, या आपराधिक कार्रवाई चलाने की मांग न्यायपालिका से कर सकता है।

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) और मुद्रास्फीति डेटा को दूसरा-सबसे कम 'C' ग्रेड दिया

IMF की ग्रेडिंग को निम्नलिखित चार ग्रेड्स में विभाजित किया गया है:

- A: प्रदान किया गया डेटा निगरानी के लिए पर्याप्त है।
- B: डेटा में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह निगरानी के लिए मोटे तौर पर पर्याप्त है।
- C: डेटा में कुछ कमियां हैं, जो निगरानी में कुछ हद तक बाधा डालती हैं।
- D: डेटा में गंभीर कमियां हैं, जो निगरानी में काफी बाधा डालती हैं।

IMF द्वारा रेखांकित किए गए मुख्य मुद्दे

- जीडीपी गणना के लिए पुराना आधार वर्ष (2011-12): यह वर्तमान उत्पादन तकनीकों और उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को दर्शाने में विफल रहता है। इससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक या कम अनुमान हो सकता है।
- अपडेटेड डेटा स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता: उदाहरण के लिए- अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से जानने के लिए घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण (HCES), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) आदि।
- मौसमी रूप से समायोजित डेटा का अभाव: राष्ट्रीय लेखा को मौसमी रूप से समायोजित नहीं किया जाता है। इससे अल्पावधि तिमाही गतिविधियों की व्याख्या करना कठिन हो जाता है।
- तिमाही राष्ट्रीय लेखा डेटा में पुरानी सांख्यिकीय तकनीकें।
- उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) का अभाव: एकल अपस्फीति यानी थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का अत्यधिक उपयोग चक्रीयता संबंधी पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।
- CPI के पुराने घटक: IMF ने बताया कि वर्तमान CPI आधार वर्ष, मर्कों की टोकरी और भारांश (2011/12) पुराने हो चुके हैं।

IMF की सिफारिशें

- आगे बढ़ते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार राष्ट्रीय लेखा, मूल्य और अन्य प्रमुख आंकड़ों के नियमित मानक संशोधन किए जाने चाहिए।

अर्थव्यवस्था के प्रमुख सांख्यिकीय संकेतक

संकेतक	परिभाषा
सकल घरेलू उत्पाद (GDP):	एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
सकल मूल्य वर्धित (GVA):	यह उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाने पर प्राप्त होता है। यह वह मूल्य है, जो उत्पादकों ने वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ा है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI):	यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। इसमें मुख्य रूप से वस्तुएं शामिल हैं, सेवाएं नहीं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):	यह परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):	यह घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह उत्पादक या फैक्ट्री गेट स्तर पर मुद्रास्फीति को कैच करता है।

## प्रधान मंत्री ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी का उदाहरण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक (सिविल) परमाणु क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में कार्य कर रही है।

- ▶ परमाणु क्षेत्रक के निजीकरण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
  - ⊙ निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ेगा;
  - ⊙ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के विनिर्माण में तेजी आएगी;
  - ⊙ नवाचार को बढ़ावा मिलेगा,
  - ⊙ विद्युत ग्रिड में स्थिरता सुनिश्चित होगी;
  - ⊙ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और
  - ⊙ देश में विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में नागरिक (सिविल) परमाणु क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- ▶ सरकार का पूर्ण नियंत्रण: भारत में परमाणु ऊर्जा मुख्यतः भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के नियंत्रण में है।
- ▶ वर्तमान में भारत के 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स हैं। ये सभी रिएक्टर्स सरकार के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा संचालित किए जाते हैं।
  - ⊙ इन रिएक्टर्स की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 8.8 गीगावाट (8880 मेगावाट) है।
  - ⊙ भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2% है।
- ▶ लक्ष्य: केंद्र सरकार ने वर्ष 2032 तक 22 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- ▶ परमाणु ऊर्जा से संबंधित मुख्य कानून: परमाणु ऊर्जा अधिनियम (AEA), 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA) 2010।
  - ⊙ वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रतिबंध है।
  - ⊙ CLNDA कानून परमाणु दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
    - ◆ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में दुर्घटना से होने वाले नुकसान की स्थिति में इस कानून के तहत ऑपरेटर द्वारा अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये तक का भुगतान करने का प्रावधान है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी की चुनौतियां

- ▶ सुरक्षा, विनियमन और दायित्व से जुड़ी चिंताएं: CLNDA 2010 कानून आपूर्तिकर्ताओं पर भारी दायित्व का बोझ डालता है। दायित्व का यह बोझ निजी क्षेत्र से निवेश को हतोत्साहित कर सकता है।
- ▶ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं: परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से इनकी गतिविधियों की निगरानी, पर्यवेक्षण और नियम के अनुपालन से जुड़े तंत्रों को मजबूत करना होगा।
- ▶ परियोजना पूर्ण होने में अधिक समय लगना: परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा होने में अक्सर 7-10 वर्ष लगते हैं।
  - ⊙ इससे निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न मिलने पर संदेह बना रहता है। इसके अलावा, जोखिम या नुकसान को साझा करने के लिए तंत्र का अभाव है। इन सभी वजहों से निजी क्षेत्र के निवेशक निवेश करने में संकोच कर सकते हैं।
- ▶ संसाधन की निरंतर आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं: भारत में यूरैनियम की मांग बढ़ रही है जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। इससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को यूरैनियम के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

## अन्य सुर्खियां



### चेसिंग चाइना रिपोर्ट

एडिडा (AidData) ने चीन के विदेशी ऋण पोर्टफोलियो पर प्रकाश डालते हुए एक चेसिंग चाइना रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ ऋण देने का पैमाना: चीन ने सन 2000 से विश्व में 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के ऋण और अनुदान प्रदान किए हैं।
  - ⊙ सन 2000-2023 के बीच 80% से अधिक देशों ने चीन के सरकारी स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किए थे।
- ▶ सबसे बड़े उधारकर्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के ऋणों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, उसके बाद रूस एवं ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है।
- ▶ सड़क पहल (BRI) संबंधी गिरावट: BRI के तहत अब केवल लगभग 25% नई परियोजनाएं ही अवसरचना से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ है कि निर्धन क्षेत्रों में भारी निर्माण वाली परियोजनाएं कम हो गई हैं।
- ▶ भारत का उधार पैटर्न: भारतीय संस्थाओं को 11.1 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। इसमें से अधिकांश ऋण ऊर्जा और वित्तीय सेवा क्षेत्रकों के लिए था।



### Tex-RAMPS योजना

केंद्र सरकार ने 'वस्त्र-केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, परियोजना एवं स्टार्ट-अप (Textiles Focused Research, Assessment, Monitoring, Planning and Start-up: Tex-RAMPS) योजना को स्वीकृति दी।

'Tex-RAMPS' योजना के बारे में

- ▶ क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
- ▶ वित्त पोषण: 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 305 करोड़ रुपये;
- ▶ उद्देश्य: भारत के वस्त्र एवं परिधान (T&A) उद्योग को भविष्य-उन्मुख बनाना, तथा वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।
- ▶ योजना के मुख्य घटक
  - ⊙ अनुसंधान एवं नवाचार: स्मार्ट टेक्स्टाइल्स, सततता, आदि में अनुसंधान।
  - ⊙ डेटा, एनालिटिक्स एवं डायग्नोस्टिक्स: इसमें रोजगार सृजन का आकलन, आपूर्ति श्रृंखला की पहचान, आदि शामिल हैं।
  - ⊙ वास्तविक समय एकीकृत वस्त्र सांख्यिकीय प्रणाली (ITSS): व्यवस्थित तरीके से निगरानी करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए।
  - ⊙ क्षमता विकास एवं ज्ञान प्रणाली: राज्य स्तर पर योजना-निर्माण को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों का प्रसार करने के लिए।
  - ⊙ स्टार्ट-अप एवं नवाचार को मदद करना: इनक्यूबेटर्स, हैकार्थॉन, तथा शिक्षा-संस्थान-उद्योग जगत में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।

## बांस

मणिपुर की इंफाल घाटी में चिरांग नदी के गाद-युक्त निक्षेपों में 37,000 वर्ष पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म खोजा गया है। यह एशिया में कांटेदार बांस के सबसे पुराने प्रमाणों का प्रतिनिधित्व करता है।

- बांस का कांटेदार होना शाकाहारियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- बांस या हरे सोने के बारे में
- यह एक प्रकार का काष्ठीय पादप है, जो घास कुल से संबंधित है।
- यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले पादपों में से एक है। इसकी कुछ किस्में एक घंटे में 4 सेमी तक बढ़ जाती हैं।
- बांस में लकड़ी, ईंट या कंक्रीट की तुलना में अधिक संपीडन शक्ति होती है। इसका उपयोग कागज उद्योग, फर्नीचर निर्माण, सिविल निर्माण, भोजन, दवा आदि में होता है।

## मोह जूज (Moh Juj) खेल

असम विधान सभा ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (असम संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। इस विधेयक के द्वारा 'मोह जूज' (Moh Juj) खेल को पशु क्रूरता कानून से बाहर कर दिया गया है। इस तरह मोह जूज खेल को अनुमति मिल गई है।

- मोह जूज के बारे में
- मोह जूज असम के कुछ हिस्सों में आयोजित भैंसों की पारंपरिक लड़ाई को कहते हैं।
- असमिया भाषा में अर्थ: "मोह" का मतलब भैंस और "जूज" का मतलब एक-साथ लड़ाई, यानी "भैंस की लड़ाई"।
- ये लड़ाइयां माघ बिहू (या भोगाली बिहू) के सांस्कृतिक त्यौहार का हिस्सा होती हैं।
- माघ बिहू असम में फसल-कटाई का त्यौहार है।

## विक्रम-1

प्रधान मंत्री ने विक्रम-1 का अनावरण किया। यह भारत का नया निजी क्षेत्र का कक्षीय-श्रेणी प्रक्षेपण यान है।

- विक्रम-1 के बारे में
- विकासकर्ता: स्काईरूट एयरोस्पेस। यह हैदराबाद स्थित एक भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप है।
- उद्देश्य: उपग्रहों को निम्न भू कक्षा (LEO) या सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में प्रक्षेपित करना। इसे लघु उपग्रहों और राइडशेयर मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पेलोड क्षमता: यह LEO में 350 किलोग्राम और SSO में 260 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है।
- प्रणोदन: चार-चरणीय रॉकेट - पहले तीन चरणों में ठोस-ईंधन बूस्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम (ऊपरी) चरण में सटीक कक्षीय प्रविष्टि के लिए द्रव-प्रणोदक "रमन" इंजन का उपयोग किया जाता है।
- संरचना: यह रॉकेट पूरी तरह से कार्बन-फाइबर से बना है। इसमें 3D-प्रिंटेड इंजन हैं। ये इंजन रॉकेट को हल्का बनाए रखने व उसे कुशल डिज़ाइन प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

## भारतीय सेना की तीन चरणीय योजना

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2047 तक भारतीय थल सेना को एक एकीकृत व भविष्य के लिए तैयार सेना में बदलने के लिए एक व्यापक तीन-चरणीय रोडमैप का अनावरण किया।

- उन्होंने भारत के सैन्य विकास के लिए चार प्रमुख आधारों पर भी प्रकाश डाला- आत्मनिर्भरता, अनुसंधान, अनुकूलन और एकीकरण।
- तीन चरणीय योजना के बारे में
- चरण 1: 2032 तक (परिवर्तन का दशक)- एक आधुनिक व चुस्त सेना के निर्माण के लिए क्षमताओं, बल संरचना और परिचालन संबंधी तत्परता में तीव्र वृद्धि करना।
- चरण 2: 2032-2037 तक (समेकन)- संगठन, प्रौद्योगिकी और सिद्धांत में पहले चरण में प्राप्त लाभों को मजबूत व एकीकृत करना।
- चरण 3: 2037-2047 तक (पूर्णतः एकीकृत भावी सेना)- अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार; तकनीकी रूप से उन्नत; नेटवर्कयुक्त और पूर्णतः एकीकृत सेना प्राप्त करना।

## उभयचर (Amphibians)

एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 40 वर्षों में 788 उभयचर प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है।

- उभयचरों के समक्ष खतरे: पर्यावास नष्ट होना और इनका क्षरण होना, कृषि कार्य का विस्तार, लकड़ी और पौधों की कटाई, अवसंरचना विकास, आदि।
- IUCN की लाल सूची में सूचीबद्ध सभी संकटापन्न कशेरुकी जीवों में 25.2% उभयचर हैं।
- इनमें 185 उभयचर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और, 37 उभयचर विलुप्त श्रेणी में हैं।
- उभयचर के बारे में
- वे ठंडे रक्त वाले कशेरुकी जीव हैं। ये अपने जीवन के विभिन्न चरणों में जल और भूमि, दोनों पर जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए: मेंढक।
- पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका: उभयचर पोषक तत्वों के चक्रण, मृदा वातन (Soil aeration) और उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देते हैं। इसके अलावा, वे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि कीट नियंत्रण।

## IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU)

IAU के ग्रहीय प्रणाली नामकरण हेतु कार्य समूह द्वारा तैयार की गई एक नवीनतम सूची में सात भारतीय नाम शामिल किए गए।

- उदाहरण: मंगल ग्रह पर भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए पेरियार नदी, बेकल किला, वर्कला समुद्र तट आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के बारे में
- स्थापना: 1919 में।
- मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान, संचार, शिक्षा और विकास सहित खगोल विज्ञान के सभी पहलुओं को बढ़ावा देना तथा उनकी सुरक्षा करना।
- राष्ट्रीय सदस्य: भारत की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सहित 85 सदस्य।
- प्रमुख योगदान: ग्रहों की परिभाषाएं, मानक खगोलीय निर्देशांक प्रणाली आदि।

## सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



## जी. वी. मावलंकर (1888 - 1956)

- लोक सभा अध्यक्ष ने प्रथम लोक सभा अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर को पुष्पांजलि अर्पित की।
- जी. वी. मावलंकर के बारे में
- दादासाहेब के नाम से प्रसिद्ध, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने 'लोक सभा के जनक' की उपाधि से सम्मानित किया था।
- प्रमुख योगदान:
  - वे गुजरात शिक्षा समिति व गुजरात सभा में सक्रिय रहे और स्वराज पार्टी में शामिल हुए।
  - उन्होंने असहयोग आंदोलन और 'खैरा में लगान नहीं' अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
  - वे बॉम्बे विधान सभा के अध्यक्ष (1937-1946) रहे, केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष (1946) चुने गए थे और 1949 में अनंतिम संसद के अध्यक्ष बने थे।
  - वे राष्ट्रीय राइफल संघ और अप्रीकी-एशियाई संबंध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।
  - पुस्तकें: मानवता झरना, संसारनो, एक महान प्रयोग आदि।
- मूल्य: गैर-पक्षपात, नेतृत्व, सत्यनिष्ठा, देशभक्ति आदि।

